लेखा-योग

१२६· विअविअ विधेयक २००६ - भाग ५ जून - ०६/ रा· ज्येष्ठ १९२८; फरवरी - ०७ में प्रकाशित

इस अङ्क में

जन-सेवी संस्थाओं (एन पी ओ) को प्रभावित करने वाले परिवर्तन १
२३· वर्तमान अधिनियम की विदाई १
अन्य परिवर्तन १
१· निजी प्रयोग के लिए उपहार १
२· सम्बन्धियों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ १
३· इलैक्ट्रॉनिक माध्यम २
४· राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन ३

लेखा योग के अंक संख्या १२५ से आगे . . .

जन-सेवी संस्थाओं (एन पी ओ) को प्रभावित करने वाले परिवर्तन

२३· वर्तमान अधिनियम की विदाई

वर्तमान विअविअ[१] का क्या होगा ? जैसे ही नया विधेयक (बिल) पास[२] होगा तो वर्तमान अधिनियम को हटा दिया जाएगा। जन-सेवी संस्थाएँ जो

वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत पञ्जीकृत हैं वे नए अधिनियम के अन्तर्गत स्वतः ही पञ्जीकृत हो जाएँगी। यह पञ्जीकरण पाँच वर्ष के लिए वैध होगा। वर्तमान विअविअ के अन्तर्गत प्राप्त पूर्वानुमति, नए विअविअ के अन्तर्गत भी मान्य रहेगी।

अन्य परिवर्तन

इस विधेयक में कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं, जो कि जन-सेवी संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में इन पर चर्चा की गई है।

१· निजी प्रयोग के लिए उपहार

विअविअ विधेयक २००६, में निजी प्रयोग के लिए उपहार के सम्बन्ध में १,०००/- रुपये की वर्तमान सीमा से अधिक लचीली सीमा का प्रस्ताव है। अब यह सीमा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी। किसी को निजी प्रयोग के लिए दिए गए उपहार को विदेशी अभिदाय नहीं माना जाएगा। परन्तु इस प्रकार के उपहार का मूल्य अधिसूचित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

२· सम्बन्धियों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ

कुछ संवेदनशील सार्वजनिक पदों पर कार्यरत व्यक्ति विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह प्रावधान वर्तमान विअविअ से बिना किसी परिवर्तन[३] के इस विअविअ विधेयक में ले लिया गया है।

परन्तु, ये व्यक्ति अपने सम्बन्धियों से उपहार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रावधान को भी वर्तमान विअविअ से लाया गया है।

वर्तमान विअविअ के अन्तर्गत जब भी उन्हें उपहार मिले तो उनको इस सम्बन्ध में सरकार को सूचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि उपहार का मूल्य प्रतिवर्ष ८,०००/- रुपये से अधिक हो तो इस सम्बन्ध में उन्हें सरकार से अनुमति प्राप्त करना

---

[१] विअविअ - विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, १९७६ [Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976]

[२] *Repeal and saving.* Section 54 (1) The Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (hereafter referred to as the repealed Act) is hereby repealed.

[३] इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों में व्यक्तियों पर प्रतिबंध को बढ़ाने को छोड़कर।

आवश्यक है।

नए विअविअ विधेयक २००६ के अन्तर्गत इन दोनों प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। अब इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी मूल्य के उपहार पर किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

सम्बन्धी कौन है? इसकी परिभाषा कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा २(४१) में उल्लेखित है। यह परिभाषा बहुत विस्तृत है तथा इसमें खून के रिश्तों के साथ-साथ विवाह के बाद बने रिश्ते भी सम्मिलित हैं।

३. इलैक्ट्रॉनिक माध्यम

जैसा कि लेखायोग[४] के पूर्व अंक में उल्लेख किया गया है, इलैक्ट्रॉनिक माध्यम विअविअ १९७६ के अन्तर्गत नहीं आता है। वर्ष १९९० में निजी क्षेत्र के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम खुलने के बाद यह माध्यम बचाव का एक रास्ता बन गया था।

विअविअ विधेयक २००६ इसके लिए परिशोधन का प्रस्ताव करता है। इसके अनुसार, समाचार को तैयार करने या उनका प्रसारण करने वाले संगठनों पर अब यह प्रतिबन्ध लागू होगा। समाचार का प्रसारण श्रव्य (सुनने) या दृश्य-श्रव्य (देखने-सुनने) का हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, इसमें किसी इलैक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा सामयिक विषयों से सम्बन्धित किसी कार्यक्रम को तैयार करने या उनका प्रसारण करने वाले संगठन भी सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त ऐसे किसी संगठन के संवाददाता या सम्पादक भी विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिबन्धित है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रतिबन्ध से शेष कौन से संगठन बचे ? वृत्तचित्र (documentary) तैयार करने वाले संगठन इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत नहीं आते। हालाँकि, ये वृत्तचित्र सामयिक विषयों से सम्बन्धित नहीं होने चाहिए।

इन्टरनेट (internet) के माध्यम से समाचार का प्रसारण करने के सम्बन्ध में क्या प्रावधान है ? इस प्रकार के समाचार श्रव्य-समाचार या दृश्य-श्रव्य-समाचार की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनको सामयिक विषयों से सम्बन्धित कार्यक्रम के रूप में भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

यह खण्ड[५], सूचना तकनीक अधिनियम (Information Technology Act), २००० की धारा २(१)(आर) में परिभाषित 'अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों' को भी सम्मिलित करता है। यह दूर संचार के कई अन्य माध्यमों को भी सम्मिलित करने जा रहा है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वेबलॉग-समाचार (blog) तथा इंटरनेट-समाचार अब विदेशी अभिदाय द्वारा प्राप्त धन से संचालित नहीं हो सकेंगे।

इस खण्ड में कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियाँ उल्लेखित नहीं हैं। जैसे कि प्रकाशन-संघ (syndicates), प्रसारक (broadcasters), विषय वस्तु - वाहक (content carriers), निर्माता (producers), समाचार पढ़नेवाल (news anchors), निर्देशक (directors), परामर्शदाता (consultants), तथा ठेकेदार (contractors), आदि। इस खण्ड में समाचार पत्रों तथा इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों को बेचने के लिए समाचारों के संग्रहण तथा इकठ्ठा करना सम्मिलित नहीं है।

---

[४] लेखा-योग ५५: विअविअ की पहेलियाँ, पृष्ठ २

[५] '*Prohibition to accept foreign contribution*
3. (1) No foreign contribution shall be accepted by any – …

(g) association or company engaged in the production or broadcast of audio news or audio visual news or current affairs programmes through any electronic mode, or any other electronic form as defined in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 or any other mode of mass communication;

(h) correspondent or columnist, cartoonist, editor, owner of the association or company referred to in clause (g)….'

इस खण्ड की संरचना के कारण व्यावहारिक कठिनाईयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। मान लीजिए कि कोई जन-सेवी संस्था पर्यावरण से सम्बन्धित मुद्दों पर एक वृत्तचित्र तैयार करना चाहती है और यह वृत्तचित्र विदेशी पैसे से बनाया जा रहा है। क्या इस वृत्तचित्र को बनाने के लिए यह संस्था दृश्य-श्रव्य समाचार सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को तैयार करने वाले किसी व्यावसायिक स्टूडियो से सम्पर्क कर सकेगी ? क्या इस स्टूडियो को दिया जाने वाला शुल्क विदेशी अभिदाय होगा ? इस विधेयक की भाषा से यह स्पष्ट नहीं होता है।

४. राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन

राजनीतिक प्रकृति[६] वाले संगठनों पर प्रतिबंधों को और अधिक मजबूत किया गया है। वर्तमान में इन संगठनों को प्रत्येक मामलों में विदेशी अभिदाय के लिए पूर्वानुमति[७] लेनी पड़ती है।

विअविअ विधेयक २००६ के अधिनियम बन जाने के बाद पूर्वानुमति[७] का विकल्प भी इन्हें उपलब्ध नहीं होगा। अतः इस प्रकार के संगठन अब विदेशी अभिदाय बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकेंगे।

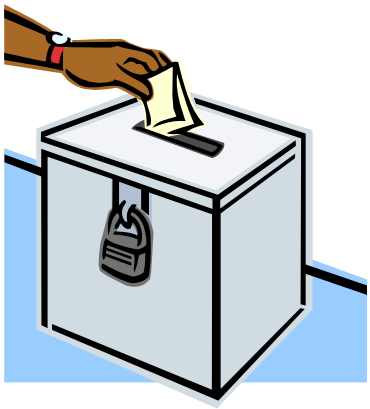

किस प्रकार के संगठनों को राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन माना जाता है ? इस प्रकार के संगठनों में मुख्यतः छात्र-संघ, श्रमिक-संघ या किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखने वाले संगठन सम्मिलित हैं। इसके कुछ उदाहरण[८] निम्नलिखित हैं:-

- ऑल इन्डिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन (AIDWA), २३, विट्ठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली
- आनन्द मार्ग, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
- दलित पैन्थर्स, वडाला, मुम्बई, महाराष्ट्र
- इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लेबर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
- नेशनल स्टूडेन्टस यूनियन ऑफ इन्डिया (आई) ५, रायसीना रोड, नई दिल्ली
- पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) ८, सहयोग अपार्टमैण्ट, मयूर विहार फ़ेज़ - १, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS), हेडगेवार भवन, नागपुर, महाराष्ट्र
- सेवा धर्म मिशन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
- शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, पंजाब
- स्टूडेन्ट इस्लामिक मूवमेंट इन इन्डिया (SIMI), १५१ - सी, ज़ाकिर नगर, नई दिल्ली
- तबलिगि जमात, बंगले वाली मस्जिद, निज़ामुद्दीन बस्ती, नई दिल्ली
- विलियम कैरे स्टडी एन्ड रिर्सच सेंटर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

नए विअविअ विधेयक २००६ में किसी भी संस्था को राजनीतिक प्रकृति वाला संगठन घोषित करने से पूर्व एक विस्तृत प्रक्रिया[९] का प्रावधान किया गया है। यह

---

[६] Section 3 (1) No foreign contribution shall be accepted by any - …

(f) organisation of a political nature as may be specified under sub-section (1) of section 5 by the Central Government; …

[७] वर्तमान समय में यह अनुमति प्रारूप एफ सी-१ (Form FC-1) के द्वारा आवेदन करने पर दी जाती है।

[८] ३१ मई १९९८ तक की सूची पर आधारित

[९] *Procedure to notify an organization of a political nature.* 5. (1) The Central Government may, having regard to the activities of the organisation or the ideology propagated by the organisation or the programme of the organisation or the association of the organisations with the activities of any political party, by an order published in the Official Gazette, specify such organisation as an organisation of a political nature not being a political party, referred to in clause (f) of sub-section (1) of section 3.

वर्तमान प्रक्रिया में एक तरह का सुधार है।

सम्बंधित लेखायोग अंकः

११६ः विअविअ का इतिहास

९६ः विअविअ की प्रस्तावना

२२ः विअविअ का रहस्य

५५ः विअविअ की पहेलियाँ

५४ः धन इकट्ठा करना एवं विअविअ

१२७ः विअविअ विधेयक २००६ – भाग १

---

(2) Before making an order under sub-section (1), the Central Government shall give the organisation in respect of whom the order is proposed to be made, a notice in writing informing it of the ground or grounds, on which it is proposed to be specified as an organisation of political nature under that sub-section:

Provided that the Central Government may, by rules made by it, specify the ground or grounds on which an organisation shall be specified as an organisation of a political nature.

(3) The organisation to whom a notice has been served under sub-section (2), may, within a period of thirty days from the date of the notice, make a representation to the Central Government giving reasons for not specifying such organisation as an organisation under sub-section (1):

Provided that the Central Government may entertain the representation after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the organisation was prevented by sufficient cause from making the representation within thirty days.

(4) The Central Government may, if it considers it appropriate, forward the representation referred to in sub-section (3) to any authority to report on such representation.

(5) The Central Government may, after considering the representation and the report of the authority referred to in sub-section (4), specify such organisation as an organisation of a political nature not being a political party and make an order under sub-section (1) accordingly.

१२८ः विअविअ विधेयक २००६ – भाग २

अन्य सम्बंधित सामग्रीः

१ अकाउण्टेबल हैन्डबुक एफ सी आर ए, अकाउण्टएड इण्डिया, नई दिल्ली, २००४

२ ए हैन्डबुक ऑन एफ सी आर ए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेण्टस् ऑफ इण्डिया।

लेखा·योग क्या है – 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा–जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन–सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन–सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग ३५०० व्यक्तियों को भेजा जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

विधि–व्याख्या – यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

लेखा·योग का वाभ–स्वरूप – लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ–स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। कुछ लेखा·योग के अङ्कों तथा इस अंक का वाभस्वरूप भी वहीं उपलब्ध है।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग – This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

अकाउण्टएड पुड़िया (capsule) – जनसेवी संस्थाओं के लेखाङ्कन एवं इससे सम्बन्धित विषयों पर लघु जानकारी अकाउण्टएड पुड़िया में दी जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए accountaid-subscribe@topica.com पर ई–प्रेष करें।

पत्राचार – आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है – अकाउण्टएड इण्डिया, ५५–बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली – ११० ०१४; दूरभाष – ०११–२६३४ ३१२८; दूरभाष/ प्रतिरूप प्रेषिका – २६३४ ६०४१; ई–प्रेष – accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com.

© AccountAid™ India विक्रम संवत् २०६३ फाल्गुन; फरवरी २००७ ईस्वी।

tRS,AB/rAB,RS/sAB/fAB/cpSA